प्रैस नोट
(दिनांक 01.10.2020)
एसटीएफ टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर संजीव उर्फ संजय प्रधान हत्याकाण्ड में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू अवैध असलहा, कारतूस, मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में बीती रात व0उ0नि0 श्री दलवीर सिंह मय टीम के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि भूड़ चौराहे पर एसटीएफ मेरठ निरीक्षक श्री सुनील कुमार मय टीम के मिले। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि संजीव उर्फ संजय प्रधान हत्याकाण्ड़ में वांछित 25,000 रूपये का एक पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू सिकन्द्राबाद की तरफ से मोटर साईकिल पर सवार होकर आने वाला है जिसके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर दोनों पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अडौली नहर पुल के पास घेराबन्दी कर अभियुक्त मोनू को अवैध असलाह मय कारतूस व मोटर साईकिल सहित समय रात्रि 02.03 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- मोनू पुत्र सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर निवासी ग्राम मनोहरगढ़ी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

2- एक मोटर साईकिल पैशन प्रो।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मोनू द्वारा पूछताछ पर बताया कि वर्ष-2016 में उसने मृतक संजीव उर्फ संजय प्रधान के साथ मिलकर 19 लाख रूपये बीघा के हिसाब से गंगेरूआ बाईपास पर जमीन खरीदी थी तथा उस जमीन खरीदने में मोनू द्वारा संजीव उर्फ संजय प्रधान को 19 लाख रूपये दिए गये थे। संजीव उर्फ संजय प्रधान द्वारा उक्त जमीन को मोनू को बिना बताए बेचना शुरू कर दिया था तथा उसे न बेची गयी जमीन के रूपये और न ही जमीन दे रहा था। इसी कारण अभियुक्त मोनू द्वारा संजीव उर्फ संजय प्रधान की हत्या करने में मुखबिरी की गयी थी। दिनांक 15.06.2020 को मोनू द्वारा संजीव उर्फ संजय प्रधान की पल-पल की सूचना अभियुक्त अमित धनौरा आदि अभियुक्तगण को दी गयी थी जिसके चलते दिनांक 15.06.2020 की रात्रि समय करीब 21.15 बजे अभियुक्त अमित धरौरा आदि अभियुक्तों द्वारा षड्यंत्र रचकर संजीव उर्फ संजय प्रधान (उम्र-44वर्ष) की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-501/2020 धारा 147,149,302,34,120बी भादवि पंजीकृत है। इस हत्याकाण्ड़ में संलिप्त अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ सोनू, जावेद आलम, अमित धनौरा, जयकुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। उक्त हत्याकाण्ड में अभियुक्त मोनू का नाम प्रकाश में आया था, जो लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त मोनू की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृम कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम-

1- श्री दलवीर सिंह व0उ0नि0 थाना कोतवाली देहात

2- का0 नितेश कुमार, का0 कपिल कुमार।

एसटीएफ टीम के नाम-

1- निरीक्षक श्री सुनील कुमार एसटीएफ मेरठ।

2- है0का0 रकम सिंह, है0का0 प्रीतम भाटी, का0 भूपेन्द्र सिंह, का0 आकाश दीप, का0 रोमिश तोमर, का0 विकास धामा, का0 प्रदीप धनकड़, का0 विनय कुमार, का0 जोशी राणा, का0 विवेक पंवार, का0 चालक अंकित कुमार।